कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0)

–:: सूचना पत्र ::–

क्रमॉक :– 628 / को0वा0 / 2020 गुना, दिनॉक :– 21 / 03 / 2020

1. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में समस्त अधिकारीगण / कर्मचारीगण को कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिनॉक 31.03.2020 तक अथवा अन्य आदेश होने तक किसी भी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। न्यायालयीन / कार्यालयीन समय पश्चात् मुख्यालय पर अपने–अपने घर पर ही रहें। कभी भी औचक निरीक्षण किये जाने पर घर पर न पाये गये अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

2. दिनॉक 31.03.2020 तक यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को जुकाम, बुखार, खांसी आदि के लक्षण हों तो इसकी सूचना शीघ्र जिला जज / प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को दिया जाना आवश्यक है।

3. न्यायालयीन कर्मचारी कार्य के दौरान अपने सहकर्मी से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें।

4. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का परिपत्र क्रमॉक सी / 1231, दिनॉक 17.03.2020 एवं परिपत्र क्रमॉक ए / 851, दिनॉक 20.03.2020 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन भी अनिवार्यतः सुनिश्चित् किया जाना है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गुना (म0प्र0)